उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3

संख्या-22/2016/सा-3-342/दस-2016-308/97 टी0सी0

लखनऊ : दिनाँक : 05 जुलाई, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

विषय:- दिनाँक 01-01-2006 के पूर्व के पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन को 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा से डी-लिंक किया जाना।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा- 3- 1515/ दस- 2008- 308/97, दिनाँक 08-12-2008 के प्रस्तर-4(1) में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनाँक 01-01-2006 के पूर्व के पेंशनरों की दिनाँक 01-01-2006 से पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि, सेवानिवृत्ति के समय उसके वेतनमान के प्रतिस्थापन पे-बैण्ड के न्यूनतम तथा ग्रेड-पे के योग के पचास प्रतिशत से कम नही होगी परन्तु जहाँ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम रही हो, ऐसे मामलों में न्यूनतम पेंशन की राशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह रू0 3500/- प्रति माह से कम नही होगी।

2- कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1358/दस-2010, दिनाँक 19 जुलाई, 2010 के साथ संलग्न तालिका में उल्लिखित न्यूनतम पेंशन की धनराशियाँ का कार्यालय-ज्ञाप संख्या- सा - 3 - जी0 आई0 -02/दस-2014-308/97, दिनाँक 14-07-2014 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4/2016- सा -3-75/दस-2016-308/97, दिनाँक 21-01-2016 द्वारा संशोधित की गयी है, के प्रस्तर-2 में भी इसी आशय का प्रतिबन्ध उल्लिखित है। दिनाँक 19-07-2010 के कार्यालय-ज्ञाप के संलग्नक में अंकित दिनाँक 01-01-2006 से न्यूनतम पेंशन की धनराशियाँ कार्यालय-ज्ञाप संख्या- सा -3- जी0 आई0 -02/दस-2014-308/97, दिनाँक 14-07-2014 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2016-सा-3-75/दस-2016-308/97, दिनाँक 21-01-2016 द्वारा संशोधित की जा चुकी है।

--2/-

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-38/37/08/पी एण्ड पी डब्ल्यू (ए), दिनाँक 06-04-2016 के प्रस्तर-6 में यह व्यवस्था की गयी है कि "कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुये पेंशन भोगियों की संशोधित समेकित पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति के समय 33 वर्ष से कम अर्हक सेवा होने के बावजूद, पेंशन को यथानुपात घटाए बिना निर्धारण तालिका (फिटमेंट टेबल) के अनुसार, संशोधन पूर्व वेतनमान के तदनुरूपी वेतन बैण्ड में वेतन और ग्रेड-पे (जहाँ लागू हो) में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत से कम नही होनी चाहिए।"

4- भारत सरकार के उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 06-04-2016 में दी गयी उपर्युक्त व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/16-सा-3-75/दस-2016-308/97 टी0सी0, दिनाँक 21-01-2016 के संलग्नक में विभिन्न वेतनमानों के सम्मुख अंकित पुनरीक्षित न्यूनतम पेंशन की धनराशि में प्रो-रेटा कमी नही की जायेगी, भले ही पेंशनर की अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम रही हो। इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन पुनरीक्षण इस शासनादेश के संलग्नक में दिये उदाहरण द्वारा समझाया गया है ।

5- शासनादेश संख्या-सा-3-1515/दस-2008-308/97, दिनांक 08-12-2008 तथा तदविषयक अन्य उपरिसंदर्भित आदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

6- यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। इन आदेशों के अनुसार न्यूनतम पेंशन के संशोधन के फलस्वरूप एरियर का भुगतान देय नहीं होगा ।

7- इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन का संशोधन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1541/दस-2008-308/97 टी0सी0, दिनांक 07-01-2009 की व्यवस्था अनुसार उस कोषागार द्वारा किया जायेगा जहां से पेंशनर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है।

8- कृपया उपयुक्तानुसार कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक: यथोक्त।

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

--3/-

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-22/2016/सा-3-342(1)/दस-2016-308/97 टी0सी0, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2- सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
8- समस्त मण्डलीय, अपर / संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
9- मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
11- उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
13- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
14- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

--4/-

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 22/2016/सा-3-342(1)/दस-2016-308/97 टी0सी0, दिनांक 05 जुलाई, 2016 का संलग्नक

उदाहरण :

(1) मान लिया जाये कि दिनांक 01-01-2006 के पूर्व कोई व्यक्ति दिनांक 31-12-2004 को रू0 10000-325-15200 के वेतनमान में रू0 15200 के वेतन पर सेवानिवृत्त होता है। उसकी अर्हकारी सेवा 15 वर्ष की है तथा अन्तिम दस मासों की औसत परिलब्धियां रू0 15200 है । दिनांक 01-01-2005 को उस व्यक्ति की पेंशन रू0 3455 (15200÷2)x(15÷33) निर्धारित होगी। दिनांक 01-01-2006 को समेकन तालिका के अनुसार संशोधित पेंशन रू0 7809 होगी। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 21-01-2016 की व्यवस्थानुसार रू0 10000-325-15200 के वेतनमान के तदनुरूपी वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 6600 के सापेक्ष दिनांक 01-01-2006 से अनुमन्य न्यूनतम पेंशन रू0 12600 है जिसे पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अर्हकारी सेवा के आधार पर अनुपातिक रूप से कम कर दिये जाने पर अनुमन्य पेंशन रू0 5727 (12600 x15÷33) होती है जो समेकन के फलस्वरूप पुनरीक्षित पेंशन रू0 7809 प्रति माह से कम है । अत: उस व्यक्ति की पुनरीक्षित पेंशन रू0 7809 प्रति माह ही रहेगी । अब प्रस्तावित व्यवस्था जिसमें न्यूनतम पेंशन की राशि में अनुपातिक कमी नही की जानी है, के अनुसार प्रकरण में दिनांक 01-01-2006 से अनुमन्य संशोधित पेंशन रू0 12600 हो जायेगी ।

(2) मान लिया जाये कि दिनांक 01-01-2006 के पूर्व कोई व्यक्ति दिनांक 31-12-2004 को रू0 10000-325-15200 के वेतनमान में रू0 15200 के वेतन पर सेवानिवृत्त होता है। उसकी अर्हकारी सेवा 30 वर्ष की है तथा अन्तिम दस मासों की औसत परिलब्धियां रू0 15200 है। दिनांक 01-01-2005 को उस व्यक्ति की पेंशन रू0 6909 (15200÷2)x(30÷33) निर्धारित होगी। दिनांक 01-01-2006 को समेकन तालिका के अनुसार संशोधित पेंशन रू0 15616 होगी। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 21-01-2016 की व्यवस्थानुसार रू0 10000-325-15200 के वेतनमान के तदनुरूपी वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 6600 के सापेक्ष दिनांक 01-01-2006 से अनुमन्य न्यूनतम पेंशन रू0 12600 है । इस प्रकरण में दिनांक 01-01-2006 को समेकित पेंशन की राशि न्यूनतम पेंशन से अधिक होने के कारण पेंशनर को रू0 15616 मासिक पेंशन प्राप्त होती रहेगी ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in